फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 36/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/40) **श्री रतनलाल बंजारा बनाम तहसीलदार, गंगरार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सत्यप्रकाश व्यास - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** 1. **श्री रतनलाल बंजारा पिता श्री मांगीलाल बंजारा, नया तालाब, पटवार हल्का सादी, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **भूमिधारी तहसीलदार, गंगरार तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** 2. **ग्राम पंचायत सादी, पंचायत समिति गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के श्मशान हेतु भूमि आरक्षित/आवंटित किये जाने के आदेश क्रमांक राजस्व/12-6(21)2021/2022/71 दिनांक 12.01.2022**	

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.10.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के श्मशान हेतु भूमि आरक्षित/आवंटित किये जाने के आदेश क्रमांक राजस्व/12-6(21)2021/2022/71 दिनांक 12.01.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में सार्वजनिक श्मशान, रूपपुरा (माल का खेड़ा) हेतु आराजी संख्या 101 रकबा 1.04 हेक्टेयर बिलानाम भूमि में से 0.20 हैक्टेयर भूमि आंवटन/आरक्षित हेतु प्रस्ताव तैयार कर मानक प्रारूप में तैयार कर मय अभिशंषा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्ताव पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति जारी करते हुए उक्त प्रयोजनार्थ यानि श्मशान हेतु भूमि आरक्षित/आवंटित किये जाने के आदेश क्रमांक राजस्व/12-6(21)2021/2022/71 दिनांक 12.01.2022 पारित किया।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मयाद बाहर एवं मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स.प्र.स. के प्रस्तुत की गई, जिस आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान को सम्मन जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान (अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-2) उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 13.10.2023 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-2 के ओर से बावुद सूचना उपस्थित नहीं।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी कृषि भूमि ग्राम रूपपुरा पटवार हलक सादी तहसील गंगरार की आराजी संख्या 102 से 105 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2.68 हैक्टेयर का अभिलिखित खातेदार है। अपीलार्थी की भूमि के पास आराजी संख्या 104 रकबा 1.04 हैक्टेयर किस्म बंजड है, जिसके दक्षिण हिस्से पर अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी संख्या 101 के पूर्वी दिशा में आराजी संख्या 100 है जो कि मौके व रिकार्ड पर पाल है। अपीलार्थी इसी पाल आराजी संख्या 100 से होते हुए आराजी संख्या 101 और फिर अपने खेत आराजी संख्या 102 से 105 में कदीमाना काल से आता जाता रहा है। इस दक्षिणी भाग पर अपीलार्थी का कब्जा जो कि पुराना चला रहा है, जिसमें नाजायज कब्जे की रसीदे भी अपीलार्थी के पास है। जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 36/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/40) **श्री रतनलाल बंजारा बनाम तहसीलदार, गंगरार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश से उक्त दक्षिणी भाग पर श्मशान बन जाता है तो अपीलार्थी को सर्वाधिक हानि होकर उसका अपने खेतों पर आना जाना बंद हो जावेगा। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुना नहीं गया जबकि वह उक्त आदेश से सर्वाधिक प्रभावित है, जिससे अपील पेश करने की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी भी पेश किया गया। उक्त आदेश की जानकारी परोक्ष पारित किये जाने ससमय नहीं होने से अपील देरी से पेश करने के कारण अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी पेश किया गया। ग्राम पंचायत सादी के आम बैठक में आराजी संख्या 101 में ही श्मशान के लिए भूमि आवंटन करना संदेहास्पद है क्योंकि यह भूमि आबादी से 2.5 से 3 किमी की दुरी पर है। आरक्षित भूमि पर साल में 6 माह पानी भरा रहता है, जिससे इसे श्मशान हेतु आरक्षित किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। गावं के कुछ व्यक्तियों का अपीलार्थी से अच्छा व्यवहार नहीं होने से उनके द्वारा उक्त भूमि प्रस्तावित कराई गई। पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश से पूर्व प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में कोई अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया जो गलत है, अपीलार्थी का आराजी संख्या 101 के दक्षिण भाग पर कब्जा है, फसल खड़ी है। यदि आप न्यायालय ऐसे आदेश को उचित एवं सही मानती है तो विकल्प में अपीलार्थी का निवेदन है कि आराजी संख्या 101 के दक्षिणी भाग के स्थान पर उत्तरी भाग आराजी संख्या 113 व 114 के निकट श्मशान के लिए एलोट किया जाना चाहिए। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने या उक्तानुसार संशोधित आदेश पारित कराये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी-1 की और से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और अपीलार्थी के खातेदारी भूमि में जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध है। अपीलार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है, वह न ही कभी खातेदार रहा है। ऐसे में उसका कोई वैधानिक हक आरक्षित भूमि पर नहीं बनता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थीगण द्वारा आरक्षित भूमि से उसके खाते की भूमि पर आने जाने हेतु उक्त भूमि के उपयोग उपभोग होने का कथन प्रस्तुत किया है और इसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिनका उल्लेख निर्णय में आगे किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम रूपपुरा उर्फ माल का खेड़ा के लिए सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम रूपपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 101 की भूमि का प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को मय अनुशंषा के पेश किया गया। ग्राम रूपपुरा के बिलानाम आराजी संख्या 101 के दक्षिण में अपीलार्थी के खातेदारी न. 102 से 105 कुल किता 4 रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अपीलार्थी श्री रतनलाल बजांरा का पूर्व के वर्षों में ग्राम रूपपुरा के बिलानाम आराजी संख्या 101 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 36/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/40) **श्री रतनलाल बंजारा बनाम तहसीलदार, गंगरार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर अपनी खातेदारी कृषि भूमि के साथ लगती हुई सीमा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फसल काश्त कर देने से अतिक्रमण रहा है, जिसकी धारा-91 की तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। आराजी संख्या 101 में से सावर्जनिक श्मशान हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 0.20 हैक्टेयर मौके पर खाली पडत व उपयुक्त होने से प्रस्तावित व आरक्षित की गई परन्तु उक्त आरक्षण की कार्यवाही से दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा उसके खातेदारी भूमि पर आने जाने का विद्यमान रास्ता बन्द होना प्रस्तुत नक्शा से प्रमाणित किया है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किया कि उसका अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रस्तावित श्मशान का उसके खातेदारी भूमि के पास में बनाये जाने से उसके खातेदारी भूमि पर जाने का रास्ता बंद हो जायेगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकनानुसार अपीलार्थी का उसकी खातेदारी भूमि में पूर्व से विद्यमान जाने वाला रास्ता यथावत रखा जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2022 में आंशिक संशोधन इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के खेत पर पूर्व में आने जाने हेतु जो रास्ता विद्यमान है, उसे छोड़ते हुए श्मशान स्थापित किया जावें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। (महावीर खराड़ी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	